क्रम संख्या–106

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/2006–08
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 17 जुलाई, 2007 ई0

आषाढ़ 26, 1929 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 1113/विधायी एवं संसदीय कार्य/2007

देहरादून, 17 जुलाई, 2007

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधा द्वारा पारित उत्तराखण्ड पंचायत विधि (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2007 पर दिनांक 16 जुलाई, 20 अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 05, सन् 2007 के रूप में सर्वसाधार सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड पंचायत विधि (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 2007

(उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 05, वर्ष 2007)

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 (समय–समय पर यथासंशोधित तथा उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) को उत्तराखण्ड राज्य के परिपेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अठ्ठावनवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित हो:–

भाग–1

1. (1) इस विधेयक का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पंचायत विधि (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 2007 है। — संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तार

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

(3) यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगा।

भाग–2

धारा 14–ख की उपधारा (1) का संशोधन

2. संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त तथा समय–समय पर यथा संशोधित) की धारा 14–ख की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थातः–

"(1) उप प्रधान का हटाया जाना–ग्राम पंचायत ऐसी बैठक में जो इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलायी जाय और जिसकी कम से कम 15 दिन की पूर्व सूचना दी जाय, ग्राम पंचायत के सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से उप प्रधान हो हटा सकती है।"

आज्ञा से,

श्रीमती इन्दिरा आशीष,

सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttarakhand Panchayat Law (First Amendment) Act, 2007. (Uttarakhand Adhiniyam Sankhya 05 of 2007)

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on July 16, 2007:

No. 1113/XXXVI(4)/2007

Dated Dehradun, July 17, 2007

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARAKHAND PANCHAYAT LAW (FIRST AMENDMENT) ACT, 2007

(UTTARAKHAND ACT no. 05 of 2007)

AN

ACT

further to amend the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947 (as applicable to the State of Uttarakhand and as amended from time to time) in the context of State of Uttarakhand.

Be it enacted in the Fifty-eighth year of the Republic of India as follows:--

Part--1

Short title, Extent and Commencement

1. (1) This Act may be called Uttarakhand Panchayat Law (First amendment) Act, 2007.

(2) It shall come into force at once.

(3) It shall be applicable to the whole State of Uttarakhand.

Part--2

Substitution of sub-section (1) section 14

2. In place of sub-section (1) of section 14-B of the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947 (as applicable to the State of Uttarakhand and as amended from time to time) the following sub-section shall be substituted, namely:--

"(1) **Removal of Up-Pradhan**--The Gram Panchayat may at a meeting specially convened for the purpose and of which at least fifteen days previous notice shall be given, remove the Up-Pradhan by a majority of two-third of the members of the Gram Panchayat."

By Order,

Smt. INDIRA ASHISH,
Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 30 विधायी/338–2007–100+400 (कम्प्यूटर/रीजियो)।